

यौन उत्पीड़न पर राष्ट्रीय महिला आयोग की चर्चाएँ

प्रलिस के लयः

यौन उत्पीड़न पर राष्ट्रीय महिला आयोग की चर्चाएँ, NCW, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, संरक्षण और नवारण) वधियक, 2012, संशोधति वधियक वर्ष 2013 में संसद द्वारा पारति ।

मेन्स के लयः

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की पृष्ठभूमि और शासनादेश ।

चर्चा में क्यों?

[राष्ट्रीय महिला आयोग \(National Commission for Women- NCW\)](#) ने सभी राज्यों से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून को सखती से लागू करने को कहा है ।

राष्ट्रीय महिला आयोग की चर्चाएँ:

- राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोचगि केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर चर्चा वयकत की है तथकार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, नषिध और नवारण) अधनियम, 2013 एवं उसके तहत स्थापति दशा-नरिदेशों को सखती से लागू करने को कहा है ।
- हाल के वर्षों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न वशिव भर में महिलाओं के जीवन को प्रभावति करने वाले सबसे अधकि दबाव वाले मुद्दों में से एक बनता जा रहा है ।
- NCW को वर्ष 2022 में महिलाओं के खलिाफ हुए अपराधों की लगभग 31,000 शकियतें प्राप्त हुई, जो किवर्ष 2014 के बाद सबसे अधकि हैं ।
 - इनमें करीब 54.5 फीसदी शकियतें उत्तर प्रदेश से मलीं । दरज शकियतों की संख्या दलीं में 3,004, महाराष्ट्र में 1,381, बहार में 1,368 और हरयाणा में 1,362 है ।
- महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के अंतर्गत [घरेलु हसा, ववाइति महिलाओं का उत्पीड़न](#) या [दहेज उत्पीड़न](#), [कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न](#), [बलात्कार](#) और [यौन शोषण का प्रयास](#), [साइबर अपराध](#) आदि आते हैं ।

यौन उत्पीड़न के खलिाफ महिलाओं का संरक्षण अधनियम, 2013:

- भूमिका:** सर्वोच्च न्यायालय ने [वशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राजय 1997](#) मामले के एक ऐतिहासिक फैसले में 'वशाखा दशा-नरिदेश' दयि ।
 - इन दशा-नरिदेशों ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, नषिध और नवारण) अधनियम, 2013 (यौन उत्पीड़न अधनियम) का आधार बनाया ।
- तंत्र:** अधनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को परभाषति करता है और शकियतों के नवारण के लयि एक तंत्र प्रदान करता है ।
 - प्रत्येक नयिक्ता के लयि आवश्यक है कविह प्रत्येक कार्यालय या शाखा में **एक आंतरकि शकियत समति का गठन करे** ।
 - शकियत समतियों को साक्ष्य एकत्र करने के लयि दीवानी न्यायालयों की शक्तियों प्रदान की गई हैं ।
 - शकियत समतियों को शकियतकर्त्ता द्वारा अनुरोध कयि जाने पर जाँच शुरू करने से पहले सुलह का प्रावधान करना होता है ।
- दंडात्मक प्रावधान:** नयिक्ताओं के लयि दंड नरिधारति कयि गया है । अधनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर जुमाना देना होगा ।
 - बार-बार उल्लंघन के मामले में अधकि **दंड और व्यवसाय संचालति करने के लयि जारी लाइसेंस या पंजीकरण को रद्द कयि जा सकता है** ।
- प्रशासन की ज़मिमेदारी:** राज्य सरकार प्रत्येक ज़िलाधिकारी को अधसूचति करेगी, जो एक स्थानीय शकियत समति (Local Complaints Committee- LCC) का गठन करेगा ताक असंगठति क्षेत्र या छोटे प्रतष्ठानों में महिलाओं को यौन उत्पीड़न से मुक्त वातावरण में कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके ।

NCW की पृष्ठभूमि और अधदिश:

■ परचिय:

- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत NCW को **जनवरी 1992 में एक वैधानिक निकाय** के रूप में स्थापित किया गया था।
- प्रथम आयोग का **गठन 31 जनवरी, 1992 को श्रीमती जयंती पटनायक की अध्यक्षता में किया गया था।**
 - आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और पाँच अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।

■ अधिदिश और कार्य:

- यह मशिन महिलाओं को समानता और समान भागीदारी प्रदान करने हेतु उपयुक्त नीति निर्माण, वधायी उपायों आदि के माध्यम से उनको अधिकार प्रदान कर जीवन के सभी क्षेत्रों में सक्रम बनाने की दिशा में प्रयास करता है।
- इसके कार्य हैं:
 - **महिलाओं के लिये संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों** की समीक्षा करना।
 - उपचारात्मक वधायी उपायों की सफारिश करना।
 - शकियतों के नविरण को सुगम बनाना।
 - महिलाओं को प्रभावति करने वाले सभी नीतगित मामलों पर सरकार को सलाह देना।
- इसने बड़ी मात्रा में शकियतें प्राप्त की हैं और त्वरति न्याय प्रदान करने हेतु कई मामलों का स्वतः संज्ञान में लिया है।
- इसने बाल वविाह, प्रायोजति कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों, पारविरकि महिला लोक अदालतों के मुद्दे को उठाया और नमिनलखिति कानूनों की समीक्षा की:
 - **दहेज नषिध अधिनियम, 1961**
 - **गरभधारण पूरव और परसव पूरव नदिान तकनीक अधिनियम, 1994**
 - भारतीय दंड संहति 1860

महिलाओं के कल्याण हेतु प्रमुख कानूनी ढाँचा:

■ संवैधानिक सुरक्षा:

○ मौलिक अधिकार:

- यह सभी भारतीयों को समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), राज्य द्वारा लगि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं [अनुच्छेद 15 (1)] और महिलाओं के पक्ष में राज्य द्वारा कये जाने वाले वशेष प्रावधान [अनुच्छेद 15(3)] की गारंटी देता है।

○ मौलिक करतवय:

- यह सुनश्चिति करता है क अनुच्छेद 51(A) के अंतर्गत महिलाओं की गरमि के लिये अपमानजनक व्यवहार प्रतबिधति है।

■ वधायी संरचना:

- **घरेलू हसिा अधिनियम, 2005 से महिलाओं का संरक्षण**
- **दहेज नषिध अधिनियम, 1961**
- **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, नषिध और नविरण) अधिनियम, 2013**
- **यौन अपराधों से बचचों का संरक्षण (पॉक्सो), 2012**

■ महिला अधिकारति योजनाएँ:

- **बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना**
- **वन स्टॉप सेंटर योजना**
- उज्ज्वला: तस्करी की रोकथाम और व्यावसायिक यौन शोषण के पीडितों के बचाव, पुनर्वास व पुनः एकीकरण के लिये एक व्यापक योजना।
- **सवाधार गृह**
- **नारी शकर्ता पुरस्कार**
- महिला पुलसि वालंटियर्स
- **महिला शकर्ता केंद्र (एमएसके)**
- **नरिभया फंड।**

आगे की राह

- कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन अधिनियम को लेकर **जे.एस. वर्मा समति** (J.S. Verma Committee) की सफारिशों को लागू करने की आवश्यकता है:

- **रोज़गार न्यायाधिकरण:** कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन अधिनियम में एक आंतरकि शकियत समति (ICC) के बजाय एक रोज़गार न्यायाधिकरण की स्थापना की जानी चाहिये।
- **स्वयं की प्रकरया बनाने की शकर्त:** शकियतों का त्वरति नपिटान सुनश्चिति करने के लिये समति ने प्रस्ताव दया क न्यायाधिकरण को एक दीवानी अदालत के रूप में कार्य नहीं करना चाहिये, लेकिन प्रत्येक शकियत से नपिटने हेतु उसे अपनी स्वयं की प्रकरया का चयन करने की शकर्त दी जानी चाहिये।
- **अधिनियम के दायरे का वसितार:** घरेलू कामगारों को अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाना चाहिये।
 - समति ने कहा क कसिी भी तरह के 'अवांछनीय व्यवहार' को शकियतकर्त्ता की व्यक्तपिरक धारणा से देखा जाना चाहिये, जसिसे यौन उत्पीडन की परभाषा का दायरा व्यापक हो सके।

- वर्तमान भारत में महिलाओं की भूमिका में लगातार वृद्धि हो रही है तथा **राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)** की भूमिका का वस्तुतः समय की आवश्यकता है।
 - इसके अलावा राज्य आयोगों को भी अपने दायरे का वस्तुतः करना चाहिये।
- महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा समानता, विकास, शांति के साथ-साथ महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों की पूर्ति में एक बाधा बनी हुई है।
 - कुल मिलाकर **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** का वादा- 'किसी को पीछे नहीं छोड़ना', महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करके बिना पूरा नहीं किया जा सकता है।
- महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का समाधान केवल कानून के तहत न्यायालयों में ही नहीं किया जा सकता है बल्कि इसके लिये एक समग्र दृष्टिकोण और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदलना आवश्यक है।
 - इसके लिये कानून निर्माताओं, पुलिस अधिकारियों, फोरेंसिक विभाग, अभियोजकों, न्यायपालिका, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, गैर-सरकारी संगठनों, पुनर्वास केंद्रों सहित सभी हितधारकों को एक साथ मिलाकर कार्य करने की आवश्यकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. हम देश में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों में वृद्धि देख रहे हैं। इसके खिलाफ मौजूदा कानूनी प्रावधानों के बावजूद ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस खतरे से निपटने के लिये कुछ अभिनव उपाय सुझाइये। (मुख्य परीक्षा, 2014)

स्रोत: द हिंदू

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ncw-s-concerns-over-sexual-assault>

